भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या-01/2016-17

		222			•		
आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर						आदेश पर की गई कार्रवाई के वाद टिप्पणी तारीख साथ
07.09,2021	अभिलेख उपस्थापित किया गया आवेदक/अपीलार्थी मो0 रेहान, पिता—स्व0						
	निजामुद्दीन, निवासी–चाँदमारी, चक्रधरपुर, पो०+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प० सिंहभूम						
	ने अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण वाद संख्या—48/2016—17,						
	दिनांक–02.05.2016 में परित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद						
	संख्या-01/2016-17 दायर किया गया है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:-						
	क्र०		मौजा	खाता नं0		रकवा	
			चक्रधरपुर, वार्ड		129/1	0.01.938 \(\textstyle \textstyle 0.0	
	1	68	नं0—14,	45	129/1	0.02.062 ए0	
W.			<u></u>	2	कुल रकवा	0.04.000 ए०	
	आवेदक / अपीलार्थी द्वारा दिनांक—03.09.2021 को आवेदन पत्र दाखिल कर						
	बताया गया है कि उक्त भूमि का नामांतरण अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर के						
	नामांतरण वाद संख्या—445/R27/2020—21, दिनांक—19.11.2015 द्वारा हो चुका						
	है। आवेदक द्वारा उक्त नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त करने का						
	अनुरोध किया गया है।						
	उक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि						
	आवेदक/अपीलार्थी का नामांतरण हो चुका है। इसलिए इस वाद में न्यायालय						
	द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश पारित करना एवं वाद की कार्रवाई को जारी						
	रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।						
	अतः उक्त नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।						
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						
	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट चक्रधरपुर।						
	<u> </u>	•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>